न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **33/2021** अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
मगसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति पुरोहित, निवासी आगोरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. नाथूसिंह पुत्र गोपालसिंह 2. आम्बसिंह पुत्र गोपालसिंह 3. हड़वंतसिंह पुत्र मानसिंह 4. प्रीतमसिंह पुत्र राणसिंह जाति पुरोहित, निवासी आगोरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा शिव 6. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 02.07.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 202/106 रकबा 35.01 बीघा मौजा आगोरिया, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 203/106, 204/106, 106, 201/106 रकबा क्रमशः 35.01, 35.01, 105.03, 80.18 बीघा मौजा आगोरिया, तहसील शिव में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में से निःशुल्क रास्ता देने बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जरिये वकील जवाबदावा पेश कर तहसीलदार मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करने पर अन्य विकल्प एवं निकटतम बिन्दु के संबंध में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक रास्ते सहित दो रास्ते क्रमशः बिन्दु A से B व बिन्दु C से D प्रस्तावित किये गये है, जिसे मौका फर्द के संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु A से B रास्ता [illegible] है, जिसकी चौड़ाई 04 गट्ठा एवं लम्बाई 260 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु कुल रकबा 0.4208 हैक्टैयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। बिन्दु C से D रास्ते मे कुल रकबा 0.5825 हैक्टेयर भूमि [illegible] निकटतम नहीं है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त बिन्दु A से B प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु A से B प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा में बिन्दु A से B अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
शिव

1, 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी वकील की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की खातेदारी से बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 3 के वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता हमें अस्वीकार होने से आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के आवागमन हेतु दो रास्ते प्रस्तावित किये गये है जो बिन्दु A से B व बिन्दु C से D है। उक्त प्रस्तावित रास्ता में से बिन्दु A से B की चौड़ाई 04 गट्ठा एवं लम्बाई 260 गट्ठा है तथा उक्त रास्ते हेतु कुल रकबा 0.4208 हैक्टैयर भूमि उपयोग ली जायेगी, जो कि अन्य विकल्प से निकटतम है। उक्त बिन्दु A से B प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 203/16 रकबा 5.6737 हैक्टेयर में से रकबा 0.0809 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 204/16 रकबा 5.6737 हैक्टैयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा नम्बर 106 रकबा 17.0211 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 के खसरा नम्बर 201/16 रकबा 13.0956 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतमक रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 260 गट्ठा एवं चौड़ाई 04 गट्ठा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु A से B अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि उनकी खातेदारी में से निशुल्क दिये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त रास्ता हेतु असहमति जताई गई है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर असहमत खातेदार की रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु A से B अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 202/106 रकबा 5.6737 हैक्टेयर मौजा आगोरिया, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु A से B अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 203/16 रकबा 5.6737 हैक्टेयर में से रकबा 0.0809 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 204/16 रकबा 5.6737 हैक्टैयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 के खसरा नम्बर 201/16 रकबा 13.0956 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि का प्रभावित खातेदारान् द्वारा विना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में एवं विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा नम्बर 106 रकबा 17.0211 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव